State Authorities, District Authorities, Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committees, Taluk Legal Service Committees and voluntary social services institutions and other legal services organisations and give general directions for the proper implementation of the legal service programmes.

Central Authority to work in co-ordination with other agencies

5. In the discharge of its functions under this Act, the Central Authority shall, wherever appropriate, act in co-ordination with other governmental and non-governmental agencies, universities and other engaged in the work of promoting the cause of legal services to the poor.

CHAPTER III

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Constitution of State Legal Services Authority

6. 1. Every State Government shall constitute a body to be called the Legal Services Authority for the State to exercise the powers and perform the functions conferred on, or assigned to, a State Authority under this Act.

2. A State Authority shall consist of -

(a) the Chief Justice of the High Court who shall be the Patron-in-Chief;

(b) a serving or retired Judge of the High Court, to be nominated by the Governor, in consultation with the Chief Justice of the High Court, who shall be the Executive Chairman; and

(c) such number of other members, possessing such experience and

समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना, और

(ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समितियों और स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यकरण को संभावित और मॉनीटर करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना।

केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना

5. केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्द्धन के कार्य में लगी अन्य (संस्थाओं) के समन्वय से कार्य करेगा।

अध्याय 3

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

6. 1. प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।

2. राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा।

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा, और

qualifications as may be prescribed by the State Government, to be nominated by that Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

3. The State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, appoint a person belonging to the State Higher Judicial Service, not lower in rank than of a District Judge, as the Member-Secretary of the State Authority, to exercise such powers and perform such duties under the Executive Chairman of the State Authority as may be prescribed by that Government or as may be assigned to him by the Executive Chairman of that Authority :

Provided that a person functioning as Secretary of a State Legal Aid and Advice Board immediately before the date of constitution of the State Authority may be appointed as Member-Secretary of that Authority, even if he is not qualified to be appointed as such under this sub-section, for a period not exceeding five years.

4. The terms of office and other conditions relating therto, of members and the Member-Secretary of the State Authority shall be such as may be prescribed by the State Government in consultaiton with the Chief Justice of the High Court.

5. The State Authority may appoint such number of officers and other emplyees as may be prescribed by State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court, for the efficient discharge of its functions under this Act.

6. The officers and other emplyees of the State Authority shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other

(ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य प्राधिकरण का सदस्य-सचिव नियुक्त करेगी।

परन्तु राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति उस प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह इस उपधारा के अधीन उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित न हो।

4. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य-सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

5. राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

6. राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य

conditions of service as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

7. The administrative expenses of the State Authority, including the salaries, allowances and pensions payable to the Member-Secretary, officers and other emplyees of the State Authority shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State.

8. All orders and decisions of the State Authority shall be authenticated by the Member-Secretary or any officer of the State Authority duly authorised by the Executive Chairman of the State Authority.

9. No Act or proceeding of a State Authority shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the State Authority.

Functions of the State Authority

7. 1. It shall be the duty of the State Authority to give effect to the policy and directions of the Central Authority.

2- Without prejudice to the generality of the functions referred to in sub-section (1), the State Authority shall perform all or any of the following functions, namely :-

(a) Give legal service to persons who satisfy the criteria laid down under this Act;

(b) conduct Lok Adalats, including Lok Adalats for High Courts cases;

(c) undertake preventive and strategic legal aid programmes; and

(d) perform such other functions as the State Authority may, in consultation with the Central Authority, fix by regulations.

State Authority to act in co-ordination with other agencies, etc., and be subject

शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

7. राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे।

8. राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत राज्य प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

9. राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

राज्य प्राधिकरण के कृत्य

7. 1. राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे।

2. राज्य प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित मानदंड़ों की पूर्ति करते हैं,

(ख) लोक अदालतों का जिनके अन्तर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, संचालन करना,

(ग) निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श, विनियमों द्वारा नियत करे।

to directions given by Central Authority.

8. In the discharge of its functions the State Authority shall appropriately act in co-ordination with other governmental agencies, non-governmental voluntary social service institutions, universitities and other bodies engaged in the work of promoting the cause of legal services to the poor and shall also be guided by such directions as the Central Authority may give to it in writing.

High Court Legal Services Committee

8A. 1. The State Authority shall constitute a Committee to be called the High Court Legal Services Committee for every High Court, for the purpose of exercising such powers and performing such functions as may be determined by regulations made by the State Authority.

2. The Committee shall consist of -

(a) a sitting Judge of the High Court who shall be the Chairman; and

(b) such number of other members possessing such experience and qualifications as may be determined by regulations made by the State Authority to be nominated by the Chief Justice of the High Court.

3. The Chief Justice of the High Court shall appoint a Secretary to the Committee possesing such experience and qualifications as may be prescribed by the State Government.

4. The Terms of office and other conditions relating therto, of the members and Secretary of the Committee shall be such as may be determined by regulations made by the State Authority.

राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों आदि के साथ समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना

8. राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर-सरकारी स्वैच्छिक समाजसेवी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धन के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्द्धन के कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय में समुचित रूप से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों से भी मार्गदर्शन होगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण लिखित रूप में दे।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

8क.1. राज्य प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

2. यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे :-

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष हो, और

(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

3. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

4. समिति के सदस्यों और सचिव की पदाविधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

5. The Committee may appoint such number of officers and other emplyees as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court for the efficient discharge of its functions.

6. The officers and other emplyees of the Committee shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other conditions of service as may be prescribed by the State Governent in consultation with the Chief Justice of the High Court.

District Legal Services Authority

9. 1. The State Government shall, in consultation with the Chief Justice of the High-Court, constitute a body to be called the District Legal Services Authority for every District in the State to exercise the powers and perform the functions conferred on, or assigned to, the District Authority under this Act.

2. A District Authority shall consist of-

(a) the District Judge who shall be its Chairman; and

(b) such number of other members, possessing such experience and qualifications, as may be prescribed by the State Government, to be nominated by that Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

3. The State Authority shall, in consultation with the Chairman of the District Authority, appoint a person belonging to the State Judicial Service not lower in rank than that of a Subordinate Judge or Civil Judge posted at the seat of the District Judiciary as Secretary of the District Authority to exercise such powers and perform such duties under the Chairman of that Committee as may be

5. समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

6. समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

9. 1. राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा।

2. जिला प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) जिला न्यायाधीश, जो उसका अध्यक्ष होगा और

(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उस सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. राज्य प्राधिकरण, उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए, जो ऐसे अध्यक्ष द्वारा उसे समनुर्दिष्ट किए जाएं, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को, जो जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य कर रहे अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो, जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

4. जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां

assigned to him by such Chairman.

4. The terms of office and other conditions relating therto, of members and Secretary of the District Authority shall be such as may be determined by regulations made by the State Authority in consultation with the Chief Justice of the High Court.
5. The District Authority may appoint such number of officers and other employees as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court for the efficent discharge of its functions.
6. The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other conditions of services as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.
7. The administrative expenses of every District Authority, including the salaries, allowances and pensions payable to the Secretary, officers and other employees of the District Authority shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State.
8. All orders and decisions of the District Authority shall be authenticated by the Secretary or by any other officer of the District Authority duly authorised by the Chairman of that Authority.
9. No act or proceeding of a District Authority shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the District Authority.

Functions of District Authority

10. 1. It shall be the duty of every District Authority to perform, such of the functions of the State

और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

5. जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।
6. जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।
7. प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जाएंगे।
8. जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उस प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
9. जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति हैं या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

जिला प्राधिकरण के कृत्य

10.1. प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करें जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

2. जिला प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन कर सकेगा, अर्थात् :-

Authority in the District as may be delegated to it from time to time by the State Authority.

2. Without prejudice to the generality of the functions referred to in sub-section (1), the District Authority may perform all or any of the following functions, namely :-

   (a) co-ordinate the activities of the Taluk Legal Services Committee and other legal services in the District;

   (b) organise Lok Adalats within the District; and

   (c) perform such other functions as the State Authority may fix by regulations.

District Authority to act in co-ordination with other agencies and be subject to directions given by the Central Authority etc.

11. In the Discharge of its functions under this act, the District Authority shall, wherever appropriate, act in co-ordination with other governmental and non-governmental institutions, universitites and others engaged in the work of Promoting the cause of legal services to the poor and shall also be guided by such directions as the Central Authority or the State Authority may give to it in writing.

Taluk Legal Services Committee

11A. 1. The State Authority may constitute a Committee, to be called the Taluk Legal Services Committee, for each taluk or mandal or for group of taluks or mandals.

2. The Committee shall consist of -

   (a) the senior Civil Judge operating within the jurisdiction of the Commiottee who shall be the ex-officio Chairman; and

   (b) such number of other members, possessing such experience and

(क) तालुक विधिक सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,

(ख) जिला के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य प्राधिकरण, विनियमों द्वारा नियत करें।

जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होगा

11. जिला प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निर्धनों को विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्द्धन कार्य में लगी अन्य संस्थाओं के समन्वय से कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो उसे केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं।

तालुक विधिक सेवा समिति

11क. 1. राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुक या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गटन कर सकेगा जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

2. यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

   (क) इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला ज्येष्टतम न्यायिक अधिकारी, जो पदेन अध्यक्ष होगा, और

   (ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने

qualifications, as may be prescribed by the State Government, to be nominated by that Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

3. The Committe may appoint such number of officers and other employees as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court for the efficient discharge of its functions.

4. The officers and other employees of the Committee shall be entitled to such salary and allowances and shall be subject to such other conditions of service as may be prescribed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court.

5. The administrative expenses of the Committee shall be defrayed out of the District Legal Aid Fund by the District Authority.

Functions of Taluk Legal Services Committee

11B. The Taluk Legal Services Committee, may perform all or any of the following functions, namely :-

(a) co-ordinate the activities of legal services in the taluk;

(b) organise Lok Adalats within the taluk; and

(c) perform such other functions as the District Authority may assign to it.

CHAPTER IV

ENTITLEMENT TO LEGAL SERVICES

Criteria for giving legal service

12. Every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under this Act if that person is -

(a) a member of a Scheduled Caste or Scheduled

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाएं।

4. समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

5. समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जाएंगे।

तालुक विधिक सेवा समिति के कृत्य

11ख.1. तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :-

क. तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना,

ख. तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

ग. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समनुर्दिष्ट करें।

अध्याय 4

विधिक सेवा के लिए हक

विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड

12. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति :-

क. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।

ख. संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है।

ग. स्त्री या बालक है,

घ. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है,

ङ. अनुपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की